न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 83/2020

उनवान – रामेश्वर बनाम गोपाल वगै.

पत्रावली आज दिनांक 21.08.2020 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चूकी है। प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी हो। बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृर्षि आराजीयात खसरा नंबर 3423, 3424, 3426 कुल किता 3 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरूकलॉ पटवार हल्का बगरूकलॉ ए व बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलॉ तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 09.09.2020 को पेश करें।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

08/09/20 मूलवाद के अनुसरण में पत्रावली नियत पेशी से पूर्व आज पेश हुई। प्रार्थीगण एवम् वकील प्रार्थीगण उप.। प्रार्थना पत्र का मूलवाद विड्रा से खारिज किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थना पत्र टी.आई. मूलवाद का ही भाग है। मूलवाद के विड्रा हो जाने के बाद प्रार्थना पत्र टी.आई. को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] मूलवाद [illegible] आज दिनांक 08/09/2020 को लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

अ.भि. रामेश्वर
बाबूलाल
एडवोकेट
(हस्ताक्षर)
8-9-2020

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.18 13:31:57 IST
Reason: SelfAttested